न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 550 सन 2021

अनवान :–

1. ऋषभदेव पुत्र वासुदेव जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कमला पत्नी गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
3. माया पुत्री गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. राजो पुत्री गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
5. बुधराम पुत्र गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
6. वासुदेव पुत्र गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

8. विधा पुत्री गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

तरतीवी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार, राज

निर्णय दिनांक :– 06/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 46/49 के खसरा न0 314/1 की 4.2500हैक भूमि गोपीराम के नाम एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खसरा न0 239/239 के खसरा न0 190/2 ,390/3 की कुल 4.1600हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 46/49 की भूमि गोपीराम पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है गोपीराम पुत्र गंगाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 है तथा वादी के पिता गोपीराम पुत्र गंगाराम ने अपने जीवनकाल मं सयुक्त परिवार की आय व अन्य भूमि की आय से खाता संख्या 239/239 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज करवाई गई थी उक्त दोनो खातो की भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,8 की माता एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 की बहने है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,8 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 , 8 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,8 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned by CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 के पति एवं पिता गोपीराम वल्द गंगाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 है तथा वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में पैतृक भूमि एवं सयुक्त परिवार की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से भूमि करवाई गई थी दोनो खातो की भूमियो में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो/बहनो/पुत्रो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,8 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है जिसका वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,8 ने बाहमी बटवारा कर लिया है उसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 46/49 के खसरा न0 314/1 की 4.2500हैक भूमि गोपीराम के नाम एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खसरा न0 239/239 के खसरा न0 190/2 ,390/3 की कुल 4.1600हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 46/49 की भूमि गोपीराम पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है गोपीराम पुत्र गंगाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 है तथा वादी के पिता गोपीराम पुत्र गंगाराम ने अपने जीवनकाल में सयुक्त परिवार की आय व अन्य भूमि की आय से खाता संख्या 239/239 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की माता है के नाम से दर्ज करवाई गई थी उक्त दोनो खातो की भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,8 की माता एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 की बहने है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,8 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 , 8 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,8 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखनादा के खाता संख्या 46/49 के खसरा न0 314/1 की 4.2500हैक भूमि गोपीराम के नाम एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खसरा न0 239/239 के खसरा न0 190/2 ,390/3 की कुल 4.1600हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पिता गोपीराम एवं उसकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी के पिता गोपीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 है एवं वादी के पिता ने अपने जीवन काल में सयुक्त परिवार की आय एव भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज करवाई गई भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 का बराबर का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि गोपीराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 87 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 46/49 की कुल 4.2500हैक भूमि गोपीराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 1/7 हिस्सा यानी 0.607हैक व शेष भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 बहिब के खातेदार काश्तकार होगे एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 239/239 की कुल 4.1600हैक भूमि में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 का 0.482हैक भूमि रहेगी व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्से के साथ शामिल कर खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ऋषभदेव पुत्र वासुदेव जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 कमला पत्नी गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
3. माया पुत्री गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
4. राजो पुत्री गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
5. बुधराम पुत्र गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
6. वासुदेव पुत्र गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

8. विधा पुत्री गोपीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 550 सन 2020 निर्णय दिनांक– 06/08/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य, सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 46/49 की कुल 4.2500हैक भूमि गोपीराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 1/7 हिस्सा यानी 0.607हैक व शेष भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 बहिब के खातेदार काश्तकार होगे एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 239/239 की कुल 4.1600हैक भूमि में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 का 0.482हैक भूमि रहेगी व शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्से के साथ शामिल कर खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/08/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned by CamScanner